झारखण्ड सरकार
<u>जल संसाधन विभाग</u>

पत्रांक–1 / पी०एम०सी० / विविध / 817 / 2018– 49/20-21 ५(6) / राँची, दिनांक– 19.03.2021

प्रेषक,

प्रशांत कुमार
सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड,
पो०–हिनू, राँची।

द्वारा:– आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय:– वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए शहीद नीलाम्बर पीताम्बर उत्तर कोयल परियोजना अन्तर्गत मोहम्मदगंज अवस्थित उत्तर कोयल परियोजना उच्च विद्यालय में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के वेतन भुगतान तथा वित्तीय वर्ष 2017–18 एवं 2018–19 के लिए उत्तर कोयल परियोजना अंतर्गत उभयनिष्ठ अवयव मोहम्मदगंज बराज के संचालन के निमित्त रखे गए मौसमी मजदूरों के भुगतान हेतु रू0 35.49 लाख (रूपये पैंतीस लाख उन्चास हजार) मात्र की स्वीकृति के संबंध में।

<u>आदेश–स्वीकृत।</u>

2. पलामू जिलान्तर्गत उत्तर कोयल परियोजना हेतु रू० 81472.30 लाख मात्र की चतुर्थ पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति पूर्ववर्त्ती बिहार सरकार द्वारा पत्रांक– 1645, दिनांक– 26.09.1998 द्वारा प्रदान की गयी थी।

3. इस परियोजना अन्तर्गत प्रदत्त प्रशासनिक स्वीकृति के विरूद्ध मार्च, 2020 तक रू० 87605.80 लाख का व्यय किया गया है।

4. उत्तर कोयल परियोजना का सातवां पुनरीक्षण प्रक्रियाधीन है एवं वर्ष 2020–21 में परियोजना हेतु राशि आवंटित नहीं की जा सकी है।

5. वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए उत्तर कोयल परियोजना अन्तर्गत उत्तर कोयल उच्च विद्यालय, मोहम्मदगंज में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों हेतु रू० 30.67 लाख का भुगतान किया जाना आवश्यक है। इस राशि का भुगतान परियोजना के कार्य मद से किया जाता है।

6. वित्तीय वर्ष 2017–18 एवं 2018–19 के लिए उत्तर कोयल परियोजना अंतर्गत उभयनिष्ठ अवयव मोहम्मदगंज बराज के संचालन के निमित्त रखे गए मौसमी मजदूरों हेतु रू0 4.82 लाख का भुगतान किया जाना आवश्यक है।

7. कंडिका– 5 एवं 6 में उल्लेखित कुल राशि रू0 35.49 लाख को मार्च, 2020 तक योजना पर व्यय को जोड़कर कुल रू० 87641.29 लाख आकलित है, जो प्रदत्त प्रशासनिक स्वीकृति से 7.57% अधिक है।

8. इस योजना पर होने वाला व्यय रू० 35.49 लाख मात्र मांग स०–49 के बजट शीर्ष "4701–मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, उप–मुख्य शीर्ष–80–सामान्य, लघु शीर्ष–001 निदेशन तथा प्रशासन, उपशीर्ष–64– छोटानागपुर एवं संथाल परगना सिंचाई परियोजना अन्तर्गत चालू योजनाओं का निर्माण, विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण, 45–अन्य व्यय" के अन्तर्गत प्रावधानित राशि के अधीन विकलनीय होगा। (विपत्र कोड–49S-4701-80-001-64-05-45)। इसके अनुसार शेष भुगतेय राशि रू० 35.49 लाख का ऑनलाईन स्वीकृत्यादेश निर्गत किया जायेगा।

9. इस कार्य के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक अभियंता, रूपांकण प्रमंडल सं0–2, मेदिनीनगर होंगे तथा मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

10. इस कार्य हेतु निधि की निकासी पलामू कोषागार से की जाएगी।

11. राशि की निकासी वित्त विभाग की परिपत्र सं0– 2561, दिनांक– 17.04.98 एवं समय–समय पर निर्गत अन्य परिपत्रों के अधीन संबंधित कोषागार से की जायेगी।

12. झारखंड कोषागार संहिता के नियम– 174 का अनुपालन दृढ़ता से किया जाएगा।

13. इस पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

14. प्रस्ताव पर माननीय विभागीय (मुख्य) मंत्री, जल संसाधन विभाग, झारखंड की स्वीकृति प्राप्त है।

15. इसे आंतरिक वित्तीय सलाहकार के द्वारा महालेखाकार झारखंड, पो0–हिनू, राँची को संसूचित किया जाए।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

19/03/21

(प्रशांत कुमार)
सचिव,

पत्रांक–1/पी०एम०सी०/विविध/817/2018– 49/20-21 ध(स) **/राँची, दिनांक–** 19.03.2021

प्रतिलिपिः– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, राँची को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार, झारखंड, राँची को प्रेषण हेतु/योजना–सह–वित्त विभाग (योजना प्रभाग), झारखंड राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/03/21

(अशोक कुमार दास)
संयुक्त सचिव (अभि०),

पत्रांक–1/पी०एम०सी०/विविध/817/2018– 49/20-21 ध(स) **/राँची, दिनांक–** 19.03.2021

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, कोषागार, पलामू को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/03/21

(अशोक कुमार दास)
संयुक्त सचिव (अभि०),

पत्रांक–1/पी०एम०सी०/विविध/817/2018– 49/20-21 ध(स) **/राँची, दिनांक–** 19.03.2021

प्रतिलिपिः– सचिव, जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख–I, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर/अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–1, जल संसाधन विभाग, राँची/अधीक्षण अभियंता, कदवन बांध अंचल, गढ़वा, शिविर मेदिनीनगर/कार्यपालक अभियंता, रूपांकण प्रमंडल सं0–2, मेदिनीनगर/कार्यपालक अभियंता, आयोजन एवं मोनिटरिंग प्रमंडल, मेदिनीनगर/ई0 सुरेश प्रसाद भगत, कार्यपालक अभियंता,

योजना एवं मोनिटरिंग प्रमंडल–3, जल संसाधन विभाग, राँची को ऑनलाईन स्वीकृत्यादेश निर्गत करने हेतु/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग, राँची को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/उप सचिव (अभियंत्रण)/प्रशाखा पदाधिकारी–7, जल संसाधन विभाग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/03/21

(अशोक कुमार दास)
संयुक्त सचिव (अभि०),

पत्रांक–1/पी०एम०सी०/विविध/817/2018– 49/20-21 प्र.(न) **/राँची, दिनांक–** 19.03.2021

प्रतिलिपिः– उपायुक्त, पलामू को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसकी प्रतिलिपि अपने स्तर से जिलान्तर्गत माननीय सांसद एवं विधायक को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

19/03/21

(अशोक कुमार दास)
संयुक्त सचिव (अभि०),

पत्रांक–1/पी०एम०सी०/विविध/817/2018– 49/20-21 प्र.(न) **/राँची, दिनांक–** 19.03.2021

प्रतिलिपिः– मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, झारखंड, राँची/माननीय विभागीय (मुख्य) मंत्री, जल संसाधन विभाग, झारखंड राँची के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

19/03/21

(अशोक कुमार दास)
संयुक्त सचिव (अभि०),